न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 15/2014

चान्दाराम पुत्र भोमाराम जाति नायक निवासी 8 बी.जी.डी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर। –मृतक

हनुमान पुत्र रतीराम जाति बिश्नोई निवासी चक 8 बी.जी.डी.(बी) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर। ––अपीलार्थी

बनाम

1. साजनराम पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी गांव 8 बी.जी.डी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. जरनैलसिंह पुत्र अमरसिंह जाति मजहबी निवासी गांव 4बी.जी.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. गंगाराम पुत्र जौतराम जाति नायक निवासी गांव 8 बी.जी.डी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर ––रेस्पॉडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर दिनांक 05.12.2013

उपस्थिति:–

श्री तेजासिंह, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री रजीव जग्गा, अभिभाषक रेस्पों.
श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 18.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी चान्दाराम ने उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के समक्ष कॉलोनी कन्डीशन्स की शर्त सं. 8(2) के तहत प्रा.पत्र पेश कर चक 8 बी.जी.डी. के लिए हडडारोडी हेतु मु.नं. 41 व मु.नं. 34 में रास्ता स्वीकृत किया जावे।

18/6/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जवाब प्रा.पत्र पेश कर प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी द्वारा सुनवाई करने के बाद दिनांक 05.12.2013 को प्रा. पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि चक 8 बी.जी.डी. की रोही में मृत पशुओं को डालने के लिए कोई हड्डारोडी स्वीकृत नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को रास्ता की आवश्यकता नहीं है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा हड्डारोडी के लिए रास्ता स्वीकृत करने की सिफारिश की थी। किन्तु अधी. न्यायालय ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अधी. न्यायालय ने रास्ता का प्रा.पत्र खारिज करने में विधिक भूल की है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आवेदित रास्ता स्वीकृत किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि जब हड्डारोडी स्वीकृत ही नहीं है तो उसके लिए रास्ता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अतः अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। तदानुसार अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा हड्डारोडी के लिए रास्ता की मांग की है किन्तु हड्डारोडी स्वीकृत हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। हड्डारोडी सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति की मोहताज है। अतः अपीलांट प्रथम हड्डारोडी स्वीकृत करवाये, इस विकल्प के साथ अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/6/18

(प्रेमप्रकाश परमार)
राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर)